

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 मई 2018—ज्येष्ठ 7, शक 1940

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 मई 2015

क्र. एफ-22-142-2004-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) तक के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-22-142-2004-आठ, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकारी तथा समस्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को 20 मई 2018 से प्रक्रम वाहनों का यात्री किराया निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित निदेश जारी करती है :—

निदेश

(1) नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में, नगर वाहनों को छोड़कर, विनिर्दिष्ट प्रक्रम वाहनों द्वारा प्रभार्य अधिकतम यात्री किराया उक्त सारणी के कॉलम (2) में, उनके सम्मुख तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार होगा :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	वाहन का प्रकार (2)	अधिकतम प्रभार्य यात्री किराया (3)
1	सामान्य प्रक्रम वाहन	रुपये 1.00 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए न्यूनतम किराया रुपये 7.00 के अध्यक्षीन रहते हुए.
(2) उपरोक्त निदेश (1) के अनुसार संगणित किराये में निम्नानुसार अधिकतम वृद्धि की जा सकेगी :—		
(1)	(2)	
(क) रात्रि बस सेवा के लिए	सामान्य प्रक्रम	वाहनों के किराये से 10 प्रतिशत अधिक
(ख) डीलक्स बस (नॉन ए. सी.)	सामान्य प्रक्रम	वाहनों के किराये से 25 प्रतिशत अधिक
(ग) स्लीपर	सामान्य प्रक्रम	वाहनों के किराये से 40 प्रतिशत अधिक
(घ) डीलक्स बस (ए. सी.)	सामान्य प्रक्रम	वाहनों के किराये से 50 प्रतिशत अधिक
(ङ) सुपर लम्बरी कोच (ए. सी.)	सामान्य प्रक्रम	वाहनों के किराये से 75 प्रतिशत अधिक

- टिप्पणी** :—1. अतिरिक्त रात्रि बस सेवा प्रभार डीलक्स (नॉन ए. सी.) डीलक्स (ए. सी.) बस और सुपर लजरी कोच के किरायों पर प्रभार्य नहीं होगा.
2. एक्सप्रेस बस सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.
3. बस सेवाओं का रात्रिकालीन बस सेवा, डीलक्स, ए. सी. डीलक्स और सुपर लजरी कोच सेवाओं के रूप में वर्गीकरण परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अध्वधीन रहते हुए किया जाएगा.

No. F-22-142-2004-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and having regard to the provisions of clause (a) to (d) of sub-section (1) of said section and in partial supersession of this Department's Notification No. F-22-142-2004-VIII, dated 22nd April, 2015, the State Government, hereby, issue following directions to the State Transport Authority and all Regional Transport Authority regarding fixing of passenger fares of Stage Carriages from 20th May 2018 :—

DIRECTIONS

1. Maximum passenger Fares Chargeable by Stage Carriage specified excluding city bus in column (1) of the Table given below shall be at the rates specified in corresponding entries against them in the column (2) of the said Table :—

TABLE

S. NO. (1)	Type of vehicle (2)	Maximum passenger fares chargeable (3)
1	General State Carriage	Rs. 1.00 per passenger per K.M. or part thereof, subject to a minimum fare of Rs. 7.00.

2. As per direction (1) above fares calculated may be increased to a maximum as follows :—

(1)	(2)
(a) Night Bus Service	10% more than fares of general Stage carriages
(b) Deluxe Bus (Non A. C.)	25% more than fares of general Stage carriages
(c) Sleeper	40% more than fares of general Stage carriages
(d) Deluxe Bus (A. C.)	50% more than fares of general Stage carriages
(e) Super Luxury Coach (A. C.)	75% more than fares of general Stage carriages

- Note.**—(1) Extra Night charges will not be chargeable on Deluxe (Non A. C), Sleeper, Deluxe A. C. bus and Super Luxury coach fares.
- (2) No extra charge would be permitted for express bus service.
- (3) The Classification of a bus service as night service, Deluxe, A. C. Deluxe and Super Luxury coach service would be subject to the guidelines issued by transport Commissioner, Madhya Pradesh, from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.